

## इंडोनेशिया को मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के अनुपालन हेतु परामर्श

इंडोनेशियाई संगरोध प्राधिकरण (आई.क्यू.ए.) ने मूंगफली के खेत, प्रसंस्करण इकाई, मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और बंदरगाहों का स्थलीय दौरा करने और मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के लिए संशोधित निर्यात प्रक्रिया की समीक्षा के बाद इंडोनेशिया को भारतीय मूंगफली के निर्यात को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रत्येक मूंगफली की खेप के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं (अनुलग्नक-1 में संलग्न) के अनुपालन के आधार पर बहाली पर सहमति व्यक्त की गई है। यद्यपि ये आवश्यकताएँ मुख्यतः एपीडा की निर्यात प्रक्रिया का हिस्सा हैं, निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका अनुपालन किया जाए, क्योंकि पुनःस्थापन की प्रारंभिक अवधि में आगमन बंदरगाह पर जोखिम-आधारित निरीक्षण की आवृत्ति, अनुपालन की स्थिति पर निर्भर करती है।

यह भी सहमति हुई है कि किसी भी खेप में अनुपालन न होने की स्थिति में, निर्यातक को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा और वह इंडोनेशिया को निर्यात के लिए पात्र नहीं होगा।

निर्यातकों को परामर्श दी जाती है कि वे एपीडा की समग्र निर्यात प्रक्रिया तथा इंडोनेशिया को निर्यात से संबंधित विशेष आवश्यकताओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें।

ह/-

डॉ. तरुण बजाज

निदेशक (बीईडीएफ)

## इंडोनेशिया को मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात हेतु विशिष्ट आवश्यकताएं

### 1. मूंगफली की आपूर्ति:

- क. इंडोनेशिया को निर्यात की जाने वाली मूंगफली अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) और अच्छी हैंडलिंग पद्धतियों (जीएचपी) का पालन करने वाले खेतों से प्राप्त की जानी चाहिए।
- ख. मूंगफली को 7% से अधिक नमी की मात्रा प्राप्त करने के लिए ठीक से सुखाया जाना चाहिए, ताकि एफ्लाटॉक्सिन संदूषण को रोका जा सके।
- ग. सुखाने की प्रक्रिया कोडेक्स दिशानिर्देशों (सीएसी/आरसीपी 55-2004) का पालन करना चाहिए। फलियों को सबसे ऊपर, मिट्टी से दूर, और धूप और हवा के संपर्क में रखना चाहिए। सुरक्षित नमी के स्तर को प्राप्त करने के लिए सुखाने का काम तुरंत पूरा किया जाना चाहिए।
- घ. एपीडा द्वारा पंजीकृत प्रसंस्करण इकाई द्वारा शुष्क और स्वच्छ परिस्थितियों में छिलका उतारने का काम किया जाएगा। बढ़ी हुई नमी और एफ्लाटॉक्सिन के जोखिम को रोकने के लिए छिलका उतारने के दौरान पानी का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- ङ. कोडेक्स दिशानिर्देशों (सीएसी/आरसीपी 55-2004) का पालन करते हुए, किसानों के स्टॉक में मौजूद मूंगफली की एफ्लाटॉक्सिन संदूषण के लिए जांच की जाएगी। एफ्लाटॉक्सिन-मुक्त खेपों को अलग से संग्रहित किया जाएगा, कम संदूषण वाले खेपों को प्रसंस्करण या सफाई के लिए भेजा जाएगा, और अत्यधिक संदूषित खेपों को क्रॉस-संदूषण को रोकने के लिए अलग से संभाला जाएगा।
- च. मूंगफली को सूखी और स्वच्छ परिस्थितियों में ऐसी सुविधाओं में संग्रहित किया जाएगा जो नमी अवशोषण, कीटों के संक्रमण और क्रॉस-संदूषण को रोकें। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खेपों को एफ्लाटॉक्सिन संदूषण के स्तर के अनुसार अलग किया जाएगा।

### 2. निर्यातक एवं प्रसंस्करण इकाई की पात्रता:

- क. केवल एपीडा के अंतर्गत पंजीकृत और आई.क्यू.ए. द्वारा अनुमोदित निर्यातकों और प्रसंस्करण इकाइयों को ही इंडोनेशिया को मूंगफली निर्यात करने की अनुमति है। आई.क्यू.ए. से प्राप्त पात्र निर्यातकों की सूची संलग्न है।
- ख. पात्र निर्यातकों और प्रसंस्करण इकाइयों की सूची आई.क्यू.ए. की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और पूर्व सूचना प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित की जाएगी।

### 3. पैकेजिंग तथा कंटेनर संबंधी आवश्यकताएं:

- क. उत्पाद की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूंगफली का निर्यात नई, स्वच्छ और खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री में किया जाना चाहिए।
- ख. कंटेनर खाद्य परिवहन के लिए उपयुक्त, स्वच्छ, जंग, रिसाव और संदूषण से मुक्त होने चाहिए, और निर्यातक को शिपमेंट से पहले एपीडा को एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

- ग. प्रत्येक खेप में स्पष्ट पता लगाने योग्य जानकारी होनी चाहिए, जिसमें निर्यातक, प्रसंस्करण इकाई, लॉट संख्या और अन्य प्रासंगिक पहचान विवरण एपीडा की निर्यात प्रक्रियाओं और आई.क्यू.ए. की आयात आवश्यकताओं के अनुसार दर्शाए गए हों, ताकि पूरी आपूर्ति श्रृंखला में पहचान सुनिश्चित हो सके।
- घ. शिपमेंट के दौरान कंटेनर के अंदर स्वेदन और संघनन को रोकने के लिए, निर्यातक को:
- प्रत्येक खेप के लिए कंटेनर के अंदर उपयुक्त नमी अवशोषक रखें।
  - शिपिंग लाइन को कंटेनर के फ्लैप खुले रखने, कंटेनर को जहाज पर अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में रखने का निर्देश दें, और
  - लोड करने से पहले कंटेनर के सभी किनारों और शीर्ष को क्राफ्ट पेपर से लाइन करें।

#### 4. नमूनाकरण, परीक्षण और निर्यात प्रमाणीकरण

- क. कोडेक्स दिशानिर्देशों के आधार पर, प्रत्येक खेप के लिए एक आई.क्यू.ए.-पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा नमूनाकरण और परीक्षण किया जाएगा।
- ख. नमूना लेने वाला नमूना लेने वाले स्थान के भू-निर्देशांक रिकॉर्ड करेगा और प्रेषण से पहले नमूना लिए गए लॉट को सील कर देगा।
- ग. प्रयोगशाला नमूना लेने के चार (4) दिनों (96 घंटे) के भीतर विश्लेषण प्रमाणपत्र (सी.ओ.ए.) जारी करेगी।
- घ. विश्लेषण प्रमाणपत्र (सी.ओ.ए.) इस प्रकार जारी किया जाना चाहिए कि उपयुक्त उपकरणों या प्रणालियों का उपयोग करके इसकी वैधता का सत्यापन किया जा सके।
- ङ. यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षण के परिणाम वैध रहें, खेप को सी.ओ.ए. जारी होने के बाद यथाशीघ्र और **सी.ओ.ए. जारी होने की तारीख से 35 (पैंतीस) दिनों** के बाद नहीं भेजा जाना चाहिए।
- च. जिस खेप में नमूना लिया गया था, उसका स्थानांतरण/पुनर्स्थापन केवल प्रयोगशाला कर्मियों की उपस्थिति में किया जाएगा और पुनः सील किया जाना चाहिए।
- छ. निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंटेनर खाद्य परिवहन के लिए उपयुक्त, स्वच्छ, जंग, रिसाव और संदूषण से मुक्त हों। निर्यात प्रमाणपत्र (सी.ओ.ई.) जारी करने से पहले, भौगोलिक निर्देशांक सहित तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट एपीडा को अनुमोदन के लिए भेजी जानी चाहिए।
- ज. मूंगफली को कंटेनरों में भरना (लोड करना) निर्यातकों द्वारा किया जाएगा और स्व-घोषणा एपीडा को प्रस्तुत की जाएगी।
- झ. निर्यातकों को यह पुष्टि करनी होगी कि कंटेनर खाद्य परिवहन के लिए उपयुक्त, स्वच्छ और जंग, रिसाव और संदूषण से मुक्त है।
- ञ. विश्लेषण प्रमाणपत्र (सी.ओ.ए.) और स्व-घोषणा द्वारा इंडोनेशिया की आवश्यकताओं को पूरा करने की पुष्टि होने पर एपीडा निर्यात प्रमाणपत्र (सी.ओ.ई.) जारी करेगा।

- ट. इंडोनेशिया की फाइटोसैनिटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के संगरोध अधिकारी द्वारा निर्यात निरीक्षण के आधार पर भारत के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (एन.पी.पी.ओ.) द्वारा फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- ठ. एपीडा द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र (सी.ओ.ई.) भारतीय मूंगफली निर्यातक द्वारा आई.क्यू.ए. को प्रस्तुत किया जाएगा और दस्तावेज़ की प्रति प्रत्येक खेप के साथ होगी।

**संलग्नक**

**इंडोनेशिया को मूंगफली के निर्यात हेतु आई.क्यू.ए. द्वारा अनुमोदित भारत के निर्यातकों की सूची**

क्र.	नाम	पता
1	किरीत ट्रेडर्स	2/3/4/36/37, जीआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र
2	बी एम एग्री कॉर्पोरेशन	स.क्र.-200/1पी1, प्लॉट नं.-10, स.क्र.-100/1पी2, प्लॉट नं.-01, एच.के. औद्योगिक क्षेत्र, कुचियादाद
3	एस.वी. गडग जिनिंग फैक्ट्री	6688/3ए 6, एम.जी. बेल्लारी डेकोरेटिंग फैक्ट्री कॉटन मार्केट
4	जेकेटी नट कंपनी	एलएलपी प्लॉट नं. ए 787/2/2/टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र खैराने
5	मधुरम इंडस्ट्रीज	प्लॉट नं. 31,53 और 54, निकट खोडियार पार्क सोकमाहुवा रोड,
6	जी एस एक्सपोर्ट्स	प्लॉट नं. सी-167, मिडकॉट औद्योगिक क्षेत्र, पवणे,
7	मे. त्रिलोक एग्री इंडस्ट्रीज	1106/ए, जीआईडीसी भुज
8	नवलदी ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	चौथी मंजिल, पुराना नं. 269/1, नया नं. 126 थम्बू चेड्डी स्ट्रीट, मन्नाडी
9	गडग एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	6688/3ए/6ए, एमजी बेल्लारी डेकोरेटिंग कॉटन मार्केट
10	जलाराम एग्रीएक्सपोर्ट्स लिमिटेड	सी-407, चौथी मंजिल, द इंपीरियल हाईट्स, 150 रिंग रोड, बिग बाजार के सामने, राजकोट, राजकोट, गुजरात, 360005
11	मधुरम एग्री एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नं. 17 पी1/पी1, प्लॉट नं. 1, सावरकुंडला-महुवा रोड, ता. - सावरकुंडला,
12	सिद्धि इंडस्ट्रीज	प्लॉट नं. 504-बी, जीआईडीसी, नागौर रोड,
13	कृष्णा इंडस्ट्रीज	सर्वे नं.304/5, प्लॉट नं. 7/12जीआईडीसी रेलवे क्रॉसिंग के पास
14	जेएसपी एग्री प्राइवेट लिमिटेड	भूतल कॉर्पोरेशन नं. 46 ओल्डनो 69 वेस्ट माधा चर्च स्ट्रीट रोयापुरम
15	मयूर इंटरप्राइज	अगरबती फैक्ट्री के पास, प्लॉट नं. 13 और 14, सारगवाड़ा
16	मे लक्ष्मी इंटरप्राइज	प्लॉट नं. 612, नागौर रोड, जीआईडीसी
17	कामनी इंडस्ट्रीज	प्लॉट नं. 1890, जीआईडीसी-2, ग्रीन फार्म के पास, दोलतपारा
18	संघर एक्सपोर्ट्स	732/ए, लीला चैम्बर्स, पहली मंजिल, पुणे सतारा रोड
19	अमित एग्री एक्सपोर्ट्स एलएलपी	प्लॉट नं. 1, आर.एस. नं. 107, पैकियोप, कुवाडवा जीआईडीसी, सतडा रोड के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 8बी,
20	क्यू लैंड एग्री वर्ल्ड	सर्वे नं. 123/1 पैकी 2, प्लॉट नं. 1, जबलपुर, ता.- टंकारा, 363650, जिला मोरबी, गुजरात
21	प्रगति इंटरप्राइज	प्लॉट नं. 37-38-39, सर्वे नं. 304/305, जीआईडीसी रेलवे क्रॉसिंग के पास,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

क्र.	नाम	पता
22	मीरा एक्जिम	प्लॉट नं. 809, जीआईडीसी क्षेत्र, नागौर रोड,
23	बदानी कॉर्पोरेशन	दीपक पेट्रोल पंप के सामने, दोलतपारा
24	श्री हरि एक्जिम	प्लॉट नं. ए-18/19, भगवती औद्योगिक क्षेत्र-2, राजकोट- अहमदाबाद हाईवे, सतदा, कुवाडवा
25	घनश्याम ट्रेडर्स	विक्टर बाईपास, रेलवे क्रॉसिंग के पास
26	कानपुर एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड	मयूर हाउस, 15/63 (2)-70 सिविल लाइंस (ग्रीन पार्क के सामने, गेट नंबर 2)
27	कृष्णा ट्रेडर्स	658-657, एमबी रोड, कोलार
28	एनफिनी एक्जिम एलएलपी	प्लॉट नं.-36, भूतल, शुभम इंडस्ट्री-2, सानिया हमीद
29	सत्यम ट्रेडर्स	15 मार्केट यार्ड, स्टेशन रोड
30	पोरस एग्री एक्सपोर्ट	सर्वे नं. 138/1/1 सतदा, जियाना सतदा रोड, राजकोट
31	वैल्यू सीड प्राइवेट लिमिटेड	ए/1504, स्टेलर एमफोर्ज कंपाउंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र, 400078
32	शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड	कार्यालय सं. 348, दूसरी मंजिल, इस्कॉन मॉल, 150 एफटी रोड
33	जयकिशन फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नं. 138, भुज-भचाऊ, राष्ट्रीय राजमार्ग, बी/एच होटल नीलकंठ रेसीडेंसी, पता: लाखोंड, ता. भुज, कच्छ,
34	शीतल ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नं. 34, औद्योगिक क्षेत्र बानमोर, जिला मुर्ना, मध्य प्रदेश, भारत-476444
35	गणेश ऑयल मिल्स	मजेवाड़ी गेट के बाहर, हीरो होंडा शोरूम के पास
36	श्री खोडियार इंटरप्राइज	जय एस्टेट, एस.के. इंडस्ट्रीज के सामने, दोलतपारा
37	संगम एक्सपोर्ट्स	सीटीएस नं. 53 बी1बी सीटीएस नं. 53 1बीबीयेलामाली प्लॉट, एपीएमसी यार्ड के पास
38	स्टार नट्स	सर्वे नं. 322/2/1, बेदी खोराना रोड, बिलेश्वर मंदिर के सामने ग्राम- खोराना
39	कुंवरजी कॉमट्रेड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	बी विंग, सिद्धिविनायक टावर्स, एनआर. डी.ए.वी. स्कूल कटारिया हाउस के बगल में, कार्या. एस.जी. रोड, मकरबा,
40	आर.एम.नेत्रा एक्जिम	नं. 1 नागथम्मन कोइल स्ट्रीट, वडकराई रोड पुलिलाइन, रेडहिल्स
41	कृष्णा ऑयल इंडस्ट्रीज	वेरावल हाईवे रोड,
42	राजस्थान एग्री प्रोडक्ट	सी-10, राजधानी मंडी यार्ड, सीकर रोड
43	विस्तारा एग्री एक्सपोर्ट्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप	प्लॉट नं. 8, आरके 7, औद्योगिक क्षेत्र

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

क्र.	नाम	पता
44	जयवीर इंडस्ट्रीज	प्लॉट नं. 501/3, जी.आई.डी.सी. - 2 मारुति रेस्तरां स्ट्रीट,
45	पारस इंडस्ट्रीज	909/910, जी.आई.डी.सी. सूरईभीत रोड
46	नेचर फूड्स	सर्वे नं. 87/2, सुखपुरधोराजी रोड
47	कृष्णा इंडस्ट्रीज	गढ़ रोड, एनआर रेलवे फाटक चडोतर
48	हरिओम एग्री इम्पेक्स	स.क्र. 126/पी-1, प्लॉट नं. 10, द्वारकेश इंडस्ट्रियल एस्टेट एन.एच.8/बी, कुवाडवा के पास जी.आई.डी.सी., कुचियादाद
49	भूमिधन एग्री इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद हाईवे, एस.बी. पुरा पाटिया न्यू मार्केट यार्ड रोड, पालनपुर (बी.के.)
50	जय एग्री फूड्स	भूतल, प्लॉट नं.48, डी.नं.11/29, जी ए रोड, ओल्ड वाशरमेनपेट
51	भगवती ट्रेडिंग कंपनी	प्लॉट नंबर 128 से 140, जीआईडीसी कुवाडवा, एन एच 27 अहमदाबाद रोड, कुवाडवा,
52	महादेव ओवरसीज	सर्वे नं. 140/1,2,3,141/1,2 ग्राम लोदरियाल, सानंद रोड, बावला
53	श्रीजी नट बटर	सर्वे नं. 143, महुवा सावरकुंडलारोड, तवेड़ा,
54	अम्रूत्व फाइन फूड्स एलएलपी	प्लॉट नं. 39, फणीधर मेगा फूड पार्कविलेज मुदरदा, तालुका जोताना
55	रोकडिया इंडस्ट्रीज	प्लॉट नं. 06, जय इंडस्ट्रियल पार्क-3 धोराजी जूनागढ़ रोड, सुखपुर
56	शिवम एग्री इम्पेक्स	एलएस नंबर-49पी1, गुंडाला पेट्री रोड, गुंडाला,
57	डिलाइट एग्री एक्सपोर्ट	सहजानंद उद्योग नगर जूनागढ़ रोड

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).